

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1401
(दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए)

यूपीएससी और एसएससी में सुधार

1401. श्री बाबू राम निषाद :
श्री शंभू शरण पटेल :
डा. दिनेश शर्मा :
श्रीमती माया नारोलिया :
श्री राजीव भट्टाचार्यी :
श्री मयंककुमार नायक :
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह :
श्री राजिन्दर गुप्ता :
श्री मदन राठौड़ :
श्री भाष्यम् रामा कृष्णा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने सरकारी पदों पर भर्ती को अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कोई सुधार किए हैं;
- (ख) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने और अभ्यर्थियों के अनुभव में सुधार के लिए कोई पहल शुरू की गई है; और
- (घ) इन सुधारों के अंतर्गत प्राप्त परिणाम क्या हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने तथा इसे और ज्यादा दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के साथ-साथ परीक्षा की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। दिनांक 01.01.2016 से समूह 'ग' और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके तथा भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित की जा सके। चरित्र और जाति प्रमाणपत्र, दोनों के सत्यापन हेतु छह माह की समयावधि के साथ-साथ स्वतः सत्यापन के आधार पर अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकते हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों और सरकारी संगठनों द्वारा समयबद्ध तथा मिशन मोड तरीके से रिक्त पदों पर भर्ती की गई है और सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किए गए राष्ट्रीय रोजगार मेलों के माध्यम से कई लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो भर्ती एजेंसियां हैं -कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अपनी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों के व्यापक सेट कार्यान्वित किए हैं। परीक्षा चरणों को कम करके और कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं के कार्यान्वयन के साथ भर्ती चक्र की अवधि 15-18 माह से घटकर औसतन 6-8 माह रह गई है। एसएससी ने छेड़छाड़ रहित (टेम्पर-प्रूफ), तीव्र और सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संचार के लिए 'ई-डोजियर प्रणाली' प्रारंभ की है। एसएससी ने मेरिट-आधारित पद उन्नयन (अपग्रेडेशन) के माध्यम से रिक्ति के अधिकतम उपयोग हेतु एक स्लाइडिंग तंत्र फ्रेमवर्क भी शुरू किया है। अनंतिम और अंतिम उत्तर कुंजी को प्रकाशित करके, अभ्यर्थियों की आपत्तियों को आमंत्रित करके, आपत्ति शुल्क को घटाकर तथा ऑनलाइन अंक और परिणाम जारी करके पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कई सुधार प्रारंभ किए हैं जिससे भर्ती चक्र में लगने वाली 15 माह से ज्यादा की अवधि और भी घटकर लगभग 13 माह रह गई है। इन सुधारों में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक माड्यूलर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, सिविल सेवा परीक्षा प्रयासों का एआई आधारित सत्यापन, प्रतिरूपण (इम्प्रसोनेशन) को रोकने के लिए फेस सत्यापन और सरंचित अभ्यावेदन तंत्र के साथ अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करना शामिल है। यूपीएससी ने एक समर्पित अभ्यर्थी हेल्पडेस्क भी स्थापित की है, परीक्षा केन्द्रों का अतिरिक्त स्थानों तक विस्तार किया है और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए गारंटीड उनकी पसंद के परीक्षा केन्द्र के चयन की प्रक्रिया शुरू की है।
